संख्या- 70 /2015/1464/30-3-15-25बी/2013

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 29 जुलाई, 2015

विषय - उत्तर प्रदेश में वेब आधारित वाहन 4.0- सारथी 4.0 इन्टीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन साफ्टवेयर के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-249कं0से0/2015-32कं0से0((कनेक्टिविटी)/08-1, दिनॉक 23-06-2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में वेब आधारित वाहन 4.0- सारथी 4.0 इन्टीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन साफ्टवेयर के क्रियान्वयन की योजना के अन्तर्गत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 05 परिवहन कार्यालय-बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ महानगर, लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर एवं फैजाबाद में क्रियान्वित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था-बीएसएनएल से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर कुल धनराशि रू0 32,27,055/- (रू0 बत्तीस लाख सत्ताइस हजार पचपन मात्र) की धनराशि कार्यदायी संस्था-बीएसएनएल को अग्रिम भुगतान कर व्यय किये जाने की स्वीकृति वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774-दस-15-1(1)/69, दिनॉक 25-10-1983 तथा शासनादेश संख्या-ए-1-235-दस-15-1(1)/69, दिनॉक 10-06-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

2- वेब आधारित वाहन 4.0 - सारथी 4.0 इन्टीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन साफ्टवेयर के क्रियान्वयन की योजना के अन्तर्गत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 05 परिवहन कार्यालय-बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ महानगर, लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर एवं फैजाबाद में क्रियान्वित किये जाने में होने वाले उक्त व्यय को वित्तीय वर्ष 2015-16 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्ष-3055-सडक परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की मद में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- समस्त स्वीकृत अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि का यथाशीघ्र समायोजन करके शासन को अवगत कराया जाए।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-एफए-1-236/दस-2015, दिनॉक 27 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-70/2015/1464(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- कार्यदायी संस्था-बीएसएनएल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in